क्रम संख्या–53

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0एन0–30/03
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006 ई0
चैत्र 17, 1928 शक सम्वत्

उत्तरांचल शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 718/विधायी एवं संसदीय कार्य/2006
देहरादून, 07 अप्रैल, 2006

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तरांचल विधान सभा द्वारा पारित उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन), 2006 पर दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल का अधिनियम संख्या 05, सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तरांचल अधिनियम सं0 05, सन् 2006)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में उत्तरांचल राज्य के संबंध में अग्रेत्तर संशोधन के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावन वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहलायेगा।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में लागू होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) का संशोधन

2–उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में निम्नवत् संशोधन किये जायेंगे:–

धारा 13 की उपधारा (7) में शब्द 'समिति' एवं 'रीति' के मध्य शब्द "के निर्वाचित सदस्य विहित" रख दिये जायेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

3–(1) उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2005 (अध्यादेश संख्या 04, वर्ष 2005) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही समझी जायेगी।

आज्ञा से,

यू0 सी0 ध्यानी,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (Second amendment) Bill, 2006 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 05 or 2006).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented to by the Governor on 04--04--2006.

No. 718/Vidhayee and Sansadiya Karya/2006
Dated Dehradun, April 07, 2006

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARANCHAL (THE UTTAR PRADESH KRISHI UTPADAN MANDI ADHINIYAM, 1964) ADAPTATION AND MODIFICATION ORDER, 2002 (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006
(UTTARANCHAL ACT No. 05 OF 2006)

A Bill further to amend the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 in application to the State of Uttaranchal--

AN

ACT

Be it enacted by the State Assembly in the Fifty-seven the Year of the Republic of India, as follows :--

Short title, Application and Commencement

1--(1) This Act may be called the Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 (Second Amendment) Act, 2006.

(2) It shall be applicable to the whole State of Uttaranchal.

(3) It shall come into force at once.

Amendment of Section 13, Sub-section 7 of the Principal Act

2--The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation and Modification Order, 2002 shall be amended as follows:--

The words "The elected members of" shall be prefixed to sub-section (7) of section 13.

Repeal & Savings

3--(1) The Uttaranchal (The Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964) Adaptation & Modification Order, 2002 (Second Amendment) Ordinance 2005 (No. 04, 2005) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

U. C. DHYANI,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 5 विधायी/194–2006–100+400 (कम्प्यूटर/रीजियो)।